लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2561
उत्तर देने की तारीखः 09.07.2019

शराब पर प्रतिबंध

2561. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग): संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 8 के अनुसार, मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय तथा विक्रय राज्य के विषय हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीले पदार्थ की मांग में कमी करने के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते "मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग के निवारण के लिए सहायता की केंद्रीय क्षेत्र योजना" का कार्यान्वयन करता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, बड़े पैमाने पर व्यक्तियों, परिवार तथा समाज में नशीले पदार्थ तथा शराब की निर्भरता के दुष्प्रभावों को घटाना और व्यक्ति को नशीले पदार्थ मुक्त, अपराध मुक्त तथा लाभप्रद रूप से नियोजित करने के लिए व्यसनियों के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ (डब्ल्यूपीआर) हेतु उनकी पहचान, प्रोत्साहन, परामर्श, नशा-मुक्ति, चिकित्सा पश्चात देखभाल तथा पुनर्वास हेतु सभी प्रकार की समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करना है।

*****